

भाग—2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रपोजल संख्या— FP/UP/Trans/21539/2016

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के 0वी0 एकल पथ मैनपुरी—उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित 0.6313 हेक्टर संरक्षित तथा 8.7003 हेक्टर आरक्षित वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(क)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख)	जिला	उन्नाव
(ग)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव
(घ)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में)	संरक्षित 0.6813 हेक्टर तथा आरक्षित 8.7003 हेक्टर वनभूमि
(ड)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित तथा संरक्षित वन भूमि
(च)	हरियाली का घनत्व	0.1
(छ)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल.एल.4 मी भी संलग्न किये जायें।	प्रस्तावित वन भूमि पर 1502 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
(ज)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नगण्य
(झ)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	जिला—सोनभद्र में प्रस्तावित।
(त)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाँथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाये)	नहीं है।
(थ)	क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्भल/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पायी जाती है यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग—1 कालम—2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो मॉगे गये विकल्पों के ब्योरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	—
(क)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार आदि का विवरण	—
(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(ग)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत, ढॉचा आदि	—
(घ)	1. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	जिला—सोनभद्र में रेंज पटना के अन्तर्गत 31.2236

		हें प्रस्तावित है।
	2. मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	रुपया 89,85,509.00
(ङ)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्न है।
11	जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम—7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करे)	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	455800.00 हेठो
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	16643.84 हेठो
(iii)	मामले की संख्या सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	54 मामले, 399.17 हेठो
13	1980 से निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य	
(i)	दण्ड के रूप में	95.0 हेठो
(ii)	वन भूमि पर	216.16 हेठो तथा 62803 पौध
(iii)	गैर वन भूमि	75.0807
14	प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(i)	दण्ड के रूप में वनीकरण	89.00 हेठो
(ii)	वन भूमि पर	155.58 हेठो तथा 31304 पौध
(iii)	गैर वन भूमि पर वनीकरण	4.81
15	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनहित में परियोजना को स्वीकृति किये जाने की संस्तुति की जाती है।

RP
Rुप(898550)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

उन्नाव

प्रभागीय विदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव